समक्ष : न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.) सागर केंप

राजस्व पुनरीक्षण क्र.–

ता. प्रस्तुति–

डायमण्ड सीमेन्ट्स निगरानी/दमोह/भू.रा./2017/3188 F

प्रो. हाइडेलबर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड

नरसिंहगढ़ जिला दमोह (म.प्र.) ....पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

1. चेतराम चढ़ार बल्द बद्री प्रसाद चढ़ार उम्र–वयस्क

   साकिन– हरदुआनी राजस्व निरीक्षक मंडल नरसिंहगढ़

   तह. पथरिया जिला दमोह (म.प्र.)

2. राजस्व निरीक्षक

   राजस्व निरीक्षक मंडल नरसिंहगढ़

   तह. पथरिया जिला दमोह (म.प्र.) ....उत्तरवादीगण

विषय– पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता।

पुनरीक्षण के संक्षिप्त तथ्य :–

पुनरीक्षणकर्ता को उत्तरवादी क्र.2 से एक इस आशय का सूचना पत्र दिनांक 23/6/17, दिनांक 28/6/17 को प्राप्त हुआ कि उत्तरवादी क्र.1 चेतराम चढ़ार बल्द बद्री प्रसाद चढ़ार निवासी– ग्राम हरदुआनी नारायण तह. पथरिया जिला दमोह की ग्राम नरसिंहगढ़ पटवारी हल्का नंबर 32 खसरा नं. 190, 191, 192, 209 तथा 211 का सीमांकन दिनांक 29/6/17 को किया जाना है अतः पुनरीक्षणकर्ता मौके पर उपस्थित रहे। उक्त दिनांक को सुबह 11 बजे जब पुनरीक्षणकर्ता के प्रतिनिधि मौके पर उपस्थित हुये परन्तु मौके पर उत्तरवादीगण उपस्थित नहीं मिले तब पुनरीक्षणकर्ता के संबंधित प्रतिनिधि मौका स्थल से वापिस अपने कार्यालय चले गये, इसके पश्चात करीब 3 बजे दोपहर उत्तरवादीगण सीधे पुनरीक्षणकर्ता के कार्यालय पहुंचे और फैक्ट्री परिसर के भीतर प्रवेश करने की मांग की तब पुनरीक्षणकर्ता के संबंधित प्राधिकारीगण ने उनसे तत्संबंध में

ई/नि०गा०/उमो०ह०/मुआ/2017/3188

22/1/18 आवेदक अधि. श्री मानिककुमार उप. उनके द्वारा प्रकरण Not-Press में समाप्त करने का निवेदन किया।

आवेदक अधि. के निवेदन पर प्रकरण Not-Press में समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

पी.ओ.

Not Press